



ए एफ आर

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:18111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी नं.1000572 वर्ष 2015

मोहम्मद याकूब एवं अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

जिला रजिस्ट्रार/ए.डी.एम. फंदर बहराइच एवं अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

मो. असलम खान

विपक्ष(गण) के अधिवक्ता : (सीएससी), राजीव कुमार त्रिपाठी, विनय शुक्ला

न्यायालय संख्या :- 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहम्मद असलम खान, विद्वान अधिवक्ता का मुद्दतनामा धारण करते हुए, प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान मुख्य शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय शुक्ला तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार त्रिपाठी का मुद्दतनामा धारण करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ला को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 15.12.2014 (रिट याचिका के अनुबंध संख्या 6) के निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाए, इस आग्रह के साथ कि इस न्यायालय द्वारा ऐसा रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त प्रतीत हो।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि विवाद ग्राम मेहरबान नगर, परगना और तहसील ननपारा, जिला बहराइच में स्थित प्लॉट संख्या 41 और 42 से संबंधित है, जो वेदांत संस्था, आर्य नगर, ननपारा, जिला बहराइच के नाम दर्ज थे। प्रवीण कुमार शर्मा, जो स्वयं को सोसायटी का अध्यक्ष बताते हैं, ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्लॉट संख्या 41 के संबंध में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिसे पंजीकरण के लिए 4.1.2011 को उप-रजिस्ट्रार, ननपारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने निष्पादन स्वीकार करने के लिए उसके बयान दर्ज करने के लिए निष्पादक को समन किया।

नोटिस के बावजूद, प्रवीण कुमार शर्मा निष्पादन स्वीकार करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। उप-रजिस्ट्रार, ननपारा ने 3.2.2011 को दस्तावेज़ के पंजीकरण से इनकार कर दिया। इससे पीड़ित होकर, प्रतिवादी संख्या 2 ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन के साथ एक समय-बाध्य अपील दायर की।

अपील की लंबितता, सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन के बारे में जानने पर, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 15.12.2014 के आदेश द्वारा, विलंब को माफ किए बिना, हालाँकि वह विधि के अनुसार सशक्त नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपील को स्वीकार कर लिया, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज करने के बाद, उप-रजिस्ट्रार, ननपारा को विक्रय विलेख का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया, जिन्होंने तदनुसार आदेश का अनुपालन किया।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.ए. खान प्रस्तुत करते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय पर लागू होती है, न कि लोक सेवकों पर, इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी का विक्रय विलेख के पंजीकरण का निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से अधिकारिता से रहित है और इस प्रकार, वह इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दायर विलंब माफी आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है और विलंब को माफ किए बिना, आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा गया है।

6. अपने प्रस्तुतीकरणों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **रघुवीर नारायण रस्तोगी बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, 2005(2) एडब्ल्यूसी 1814 (एलबी)** में प्रदत्त निर्णय पर भरोसा किया है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय शुक्ला प्रस्तुत करते हैं कि अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, विक्रय विलेख का पंजीकरण कर दिया गया है और यदि याचिकाकर्ता विक्रय विलेख के पंजीकरण से पीड़ित हैं, तो वे इसके रद्दीकरण के लिए सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

8. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति दायर करके अपीलीय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिवादों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख की सामग्री के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि-मामले का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद को निर्णीत करने के लिए, निर्णय के पैराग्राफ 13, 14, 19, 23 और 24 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

“13. मेसर्स गुडअर्थ स्टील्स प्रा. लि. इंडस्ट्रियल एरिया ओरल (पूर्वोक्त) का मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन संदर्भ आवेदन दायर करने से संबंधित है। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद उपर्युक्त सिद्धांत को दोहराया और माना कि सीमा अधिनियम में निहित प्रावधान केवल न्यायालयों पर लागू होगा, न कि किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही पर।

विधि के उपर्युक्त प्रस्ताव को देखते हुए कि सीमा अधिनियम में निहित प्रावधान को किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है, वर्तमान याचिका सुदृढ़ प्रतीत होती है।

14. उप-रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार का कार्यालय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, यह पंजीकरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों से एकत्र किया जा सकता है। उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अधिनियम की धाराओं 5, 6, 6ए और 7 में निहित प्रावधान के अनुपालन में सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आकस्मिक रिक्तियाँ अधिनियम की धाराओं 10, 11 और 12 में निहित प्रावधान के अनुपालन में भरी जाती हैं। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन कई कार्यालय स्थापित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। पंजीकरण अधिकारियों की मुहर का प्रारूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. जैसा कि अधिनियम की धारा 84 द्वारा प्रावधानित है, प्रत्येक पंजीकरण अधिकारी को एक लोक सेवक माना जाएगा, लेकिन न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लोक सेवक एक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी हो, हालाँकि एक न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश एक लोक सेवक होगा। न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश का पद धारण करने वाला व्यक्ति केवल लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए संलग्न होना चाहिए। ऐसे अधिकारी पर वह जिम्मेदारी नहीं हो सकती जो सामान्य सरकारी सेवकों द्वारा वहन की जाती है।

23. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विधि के प्रावधान के अंतर्गत, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय को न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधान पंजीकरण अधिनियम के अधीन कार्यवाही में लागू नहीं होगा। सीमा अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से सीमा अवधि या विधि द्वारा प्रदत्त अवधि से परे अवधि के विस्तार की शक्ति को न्यायालय तक विस्तारित करती है, न कि अन्य प्राधिकारियों तक। सुविधा के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 नीचे प्रतिरूपित की गई है:

"नियत मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार--कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के अधीन आवेदन के अलावा, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील न करने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।"

24. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, उप-रजिस्ट्रार या अधीन अपीलीय प्राधिकारी हालाँकि

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लोक सेवक के रूप में कार्य करता है लेकिन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तदनुसार, सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। विवादित आदेश अधिकारिता के अभाव से ग्रसित है। अतः, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।"

11. उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उप-रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार का कार्यालय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, यह पंजीकरण अधिनियम के कुछ प्रावधानों से एकत्र किया जा सकता है। उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 5, 6, 6ए और 7 में निहित प्रावधान के अनुपालन में सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आकस्मिक रिक्तियाँ अधिनियम की धाराओं 10, 11 और 12 में निहित प्रावधान के अनुपालन में भरी जाती हैं। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिनियम के अधीन कई कार्यालय स्थापित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। पंजीकरण अधिकारियों की मुहर का प्रारूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

12. जैसा कि अधिनियम की धारा 84 द्वारा प्रावधानित है, प्रत्येक पंजीकरण अधिकारी को एक लोक सेवक माना जाएगा, लेकिन न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लोक सेवक एक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी हो, हालाँकि एक न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश एक लोक सेवक होगा। न्यायिक अधिकारी या न्यायाधीश का पद धारण करने वाला व्यक्ति केवल लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए संलग्न होना चाहिए। ऐसे अधिकारी पर वह जिम्मेदारी नहीं हो सकती जो सामान्य सरकारी सेवकों द्वारा वहन की जाती है। सुविधाजनक संदर्भ के लिए, भा.द.सं. की धारा 21 नीचे प्रतिरूपित की गई है:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"भा.द.सं. की धारा 21 यह परिभाषित करती है कि लोक सेवक कौन होगा। सुविधा के लिए धारा 21 नीचे प्रतिरूपित की गई है:

"लोक सेवक" - शब्द "लोक सेवक" निम्नलिखित विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है, अर्थात्:

प्रथम--(अनुकूलन विधि आदेश, 1950 द्वारा दोहराया गया।

द्वितीय--भारत के सैन्य, नौसेना या वायु सेना में प्रत्येक कमीशन अधिकारी;

तृतीय--प्रत्येक न्यायाधीश जिसमें विधि द्वारा सशक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे स्वयं द्वारा या किसी व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के रूप में, कोई अधिनिर्णयकारी कार्य करने के लिए;

चतुर्थ--न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी (जिसमें एक परिसमापक, प्राप्तकर्ता या आयुक्त शामिल है जिसका कर्तव्य है, ऐसे अधिकारी के रूप में, विधि या तथ्य के किसी मामले की जाँच या रिपोर्ट करना, या किसी दस्तावेज़ को बनाना, प्रामाणिक बनाना या रखना, या किसी संपत्ति का प्रभार लेना या निपटान करना, या किसी न्यायिक प्रक्रिया को निष्पादित करना, या कोई शपथ दिलाना, या व्याख्या करना, या न्यायालय में शांति बनाए रखना, और न्यायालय द्वारा विशेष रूप से उपर्युक्त कर्तव्यों में से कोई भी करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति;

पंचम--प्रत्येक जूरीमैन, मूल्यांकनकर्ता, या पंचायत का सदस्य जो न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करता है;

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



षष्ठम--प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय, या किसी अन्य सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए कोई वाद या मामला भेजा गया है;

सप्तम--प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने या रखवाने के लिए सशक्त है;

अष्टम--सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है, ऐसे अधिकारी के रूप में, अपराधों को रोकना, अपराधों की सूचना देना, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करना;

नवम-- प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है, ऐसे अधिकारी के रूप में, सरकार की ओर से कोई संपत्ति लेना, प्राप्त करना, रखना या खर्च करना, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, आकलन या अनुबंध करना, या कोई राजस्व-प्रक्रिया निष्पादित करना या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले की जाँच या रिपोर्ट करना, या सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित कोई दस्तावेज़ बनाना, प्रामाणिक बनाना या रखना, या सरकार के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किसी विधि के उल्लंघन को रोकना।

दशम-- प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है, ऐसे अधिकारी के रूप में, किसी गाँव, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के निर्धारण के लिए किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए कोई संपत्ति लेना, प्राप्त करना, रखना या खर्च करना, कोई सर्वेक्षण या आकलन करना या कोई दर या कर लगाना;

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एकादश-- प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह एक निर्वाचक रोल तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है;

द्वादश-- प्रत्येक व्यक्ति

(क) सरकार की सेवा या वेतन में या सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन के लिए फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 वर्ष 1956) की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में।"

13. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विधि के प्रावधान के अंतर्गत, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय को न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधान पंजीकरण अधिनियम के अधीन कार्यवाही में लागू नहीं होगा। सीमा अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से सीमा अवधि या विधि द्वारा प्रदत्त अवधि से परे अवधि के विस्तार की शक्ति को न्यायालय तक विस्तारित करती है, न कि अन्य प्राधिकारियों तक। सुविधा के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 नीचे प्रतिरूपित की गई है:

"नियत मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार--कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के अधीन आवेदन के अलावा, निर्धारित

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील न करने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।"

14. ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क में बल है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित अपील को स्वीकार करने वाला विक्रय विलेख के पंजीकरण का निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से अधिकारिता से रहित है और इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है। प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क है कि निष्पादित विक्रय विलेख एक भिन्न मंच का मामला है, इसलिए रिट याचिका में उसके जवाब में कोई और कार्यवाही नहीं की जानी है।

15. इस न्यायालय की राय में, विक्रय विलेख का पंजीकरण अपील में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया था। विक्रय विलेख का पंजीकरण एक स्वतंत्र क्षमता में निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश और विक्रय विलेख का पंजीकरण अपीलीय न्यायालय के आदेश पर निर्भर है।

16. मामले की उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अधीन उप-रजिस्ट्रार या अपीलीय प्राधिकारी हालांकि लोक सेवक के रूप में कार्य करता है लेकिन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तदनुसार, सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। विवादित आदेश अधिकारिता के अभाव से ग्रसित है। अतः रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

17. उपर्युक्त के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 15.12.2014 (रिट

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका के अनुबंध संख्या 6) के विवादित आदेश को सभी आनुषंगिक परिणामों के साथ रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है।

18. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

आदेश दिनांक :- 10.3.2026

(इरशाद अली, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।